राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 63वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि	
एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची	क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना
	ख) वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग
	ग) आरसेटी
एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण	क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18
	ख) ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार
एजेण्डा संख्या - 4 : वित्तीय समावेशन	क) ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट
	ख) प्रधानमंत्री जन-धन योजना
	ग) उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा
	घ) सामाजिक बीमा योजनाएं
	ङ) बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग
	च) वित्तीय साक्षरता
एजेण्डा संख्या - 5 : ग्राम्य विकास योजनाएं	क) किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना
	ख) फसल बीमा योजना
	ग) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)
	घ) डेयरी उद्यमिता विकास योजना
एजेण्डा संख्या - 6: शहरी विकास योजनाएं	क) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)
	ख) प्रधानमंत्री आवास योजना - घटक ऋण आधारित अनुदान योजना (C.L.S.S.)
एजेण्डा संख्या - 7 : समाज कल्याण योजनाएं	क) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
एजेण्डा संख्या - 8 : अवस्थापना विकास योजनाएं	क) एम.एस.एम.ई. ऋण
	ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना
	ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)
	घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना
	ङ) हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना
	च) स्टैण्ड अप इण्डिया
	छ) ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण
एजेण्डा संख्या - 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।	

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड

64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 की कार्य सूची (एजेण्डा)

एजेण्डा संख्या - 1 : 63वीं बैठक के कार्य बिंदुओं की पुष्टि

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की **63वीं** बैठक दिनांक 30 नवम्बर, 2017 के कार्य बिंदुओं पर संबंधित विभागों एवं बैंकों द्वारा की गयी कार्रवाई से एस.एल.बी.सी., उत्तराखंड को अवगत कराया गया है, जिनकी पुष्टि निम्नलिखित **उप-समितियों** की बैठक में सभी सदस्यों की सहमति से मान ली गयी है।

1. ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 08 फरवरी, 2018**
2. बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक **दिनांक 08 फरवरी, 2018**
3. अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 14 फरवरी, 2018**
4. समाज कल्याण बैंकर्स स्थायी समिति बैठक **दिनांक 14 फरवरी, 2018**

एजेण्डा संख्या - 2 : शासन संबंधी कार्य सूची

क) बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना :

(Online Creation of Charge on Land Records by Bank)

उत्तराखंड शासन के **अधिसूचना संख्या 1398/XVIII(1) /2017-07(55) /2016 दिनांकित 31 जनवरी, 2017** तथा **अधिसूचना संख्या 1327/XVIII(1) /2017-07(55) /2016 दिनांकित 10 अक्टूबर, 2017** द्वारा बैंकों को कृषि भूमि के अभिलेखों में कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का ऑन-लाइन प्रभार दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अन्तर्गत ऋणदाता बैंक द्वारा हितबद्ध व्यक्ति / संस्था से भूमि अभिलेखों में ऋण का प्रभार एवं ऋण मुक्त करने के लिए **₹ 50.00 (₹ पचास मात्र**) की धनराशि प्राप्त कर पंजीकृत भूलेख प्रबंधन एवं अनुरक्षण समिति के बैंक खाते में जमा करने का प्रावधान है।

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करने से संबंधित आवेदन प्राप्त होने पर तहसील स्तर से प्रभार दर्ज करने संबंधी **Real Time Display** की व्यवस्था वर्तमान में केवल देहरादून जिले में ही उपलब्ध है तथा राज्य के अन्य जिलों में यह सुविधा उपलब्ध कराना अभी प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में संबंधित तहसील द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऋण प्रभार अंकित करते समय प्रभार को एक अलग **Utility Software** पर **Upload** करने की व्यवस्था की गयी है, जिस पर बैंक स्तर से तहसील द्वारा प्रभार अंकित करने की कार्यवाही को देखे जाने का प्रावधान है। यह भी अवगत कराया गया कि एन.आई.सी. द्वारा सभी बैंकों को संबंधित वेब एप्लीकेशन के उपयोगार्थ यूजर एडमिन के आईडी / पासवर्ड भी बनाकर उपलब्ध करा दिये गये हैं।

इसी क्रम में सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 14 फरवरी, 2018 को राजस्व विभाग, एन.आई.सी. एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के साथ एक बैठक की गयी, जिसमें एन.आई.सी. प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि **Real Time Display** की सुविधा मात्र देहरादून तहसील में ही लागू है। सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा इस विषय में पुन: एक बैठक दिनांक 01 मार्च, 2018 को बुलायी गयी है।

शासन से अनुरोध है कि कृषि तथा कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रभार दर्ज करने संबंधी **Real Time Display** की व्यवस्था यथाशीध्र संपूर्ण राज्य में उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी जाए।

ख) <u>वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग</u> : “SLBC - 39”

बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्र की ऑन-लाइन फाइलिंग करने से संबंधित शासनादेश जारी किया जाना प्रतीक्षित है। शासन से अनुरोध है कि इस विषयक शासनादेश यथाशीघ्र जारी करने की कृपा करें।

31 दिसम्बर, 2017 तक लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत् है :

(₹ करोड़ में)

लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति		
	संख्या	**लम्बित राशि**
एक वर्ष से कम	11413	156.63
एक वर्ष से तीन वर्ष तक	26657	205.25
तीन वर्ष से पाँच वर्ष तक	2162	24.89
पाँच वर्ष से अधिक	3794	43.24
कुल लम्बित आर.सी.	**44026**	**430.01**
01.04.2017 से 31.12.2017 तक वसूली की स्थिति	**6925**	**18.73**

वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर त्रैमास की समाप्ति तक **44,026** वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष कुल **₹ 430.01 करोड़** की राशि लम्बित थी, जिसके विरुद्ध **6,925** खातों में **₹ 18.73 करोड़** की वसूली की गयी है, जो कि कुल लम्बित राशि का मात्र **4.36 %** है।

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया है कि वह बैंकों द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों की जिला / तहसील स्तर पर बैंक शाखाओं के साथ वसूली प्रमाण पत्रों के मिलान से संबंधित प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

ग) <u>आरसेटी</u> :

वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में 13 आरसेटी संस्थान कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत आरसेटी संस्थानों द्वारा **248** प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत **6610** अभ्यार्थियों को वांछित क्रियाकलापों के लिए प्रशिक्षित प्रदान किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप आरसेटी संस्थानों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं कार्य आरम्भ करने से अब तक दिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	कुल आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	कुल प्रशिक्षणार्थियों में रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिशत
01.04.2017 से 31.12.2017 तक	**228**	**5117**	**3652**	**71%**
01.04.2011 से 31.12.2017 तक	**1342**	**43,443**	**28,685**	**66%**

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि रोजगार / स्वरोजगार प्राप्त **28,685** प्रशिणार्थियों में से **11,279** प्रशिक्षणार्थियों ने बैंक ॠण के माध्यम से तथा **16,103** प्रशिक्षणार्थियों ने स्वयं के साधनों से व्यवसाय स्थापित किए हैं।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुरुप वित्तीय वर्ष 2017-18 में आरसेटी संस्थानों से प्रशिक्षित 552 अभ्यर्थी, जो बैंक ऋण के इच्छुक हैं, के ऋण आवेदन आरसेटी संस्थानों द्वारा प्राप्त कर बैंकों की विभिन्न शाखाओं को उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 294 ऋण आवेदन पत्र बैंकों द्वारा निस्तारित कर दिए गए हैं। शेष 258 ऋण आवेदन पत्रों की बैंकवार / शाखावार सूची स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे संबंधित बैंक नियंत्रकों को इस आशय से अग्रसारित कर दिया गया था कि वे इनका निस्तारण दिनांक 10 मार्च, 2018 तक करवाना सुनिश्चित करें।

दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक आरसेटी संस्थानों के पूर्व में बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्न प्रकार लम्बित है :

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**प्रशिक्षणार्थियों की संख्या**	**लम्बित राशि**
1	2011-12	55	0.67
2	2012-13	26	0.37
3	2013-14	336	3.53
4	2014-15	30	0.62
5	2015-16	83	2.30
6	2016-17	495	8.19
7	2017-18	800	17.23
	कुल योग	**1825**	**32.91**

शासन से अनुरोध है कि लम्बित राशि का आरसेटी संस्थानों को शीघ्र भुगतान करवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन सुचारु रूप से संभव हो सके।

स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया है कि पिथौरागढ़ जिले की आरसेटी संस्थान को आवंटित भूमि से संबंधित समस्या का निदान हो गया है, यद्यपि देहरादून, टिहरी एवं नैनीताल जिले की आरसेटी संस्थानों को आवंटित भूमि संबंधी समस्या का निराकरण होना अभी प्रतीक्षित है।

एजेण्डा संख्या - 3 : बैंकिंग प्रगति से संबंधित विवरण

क) वार्षिक ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 : “SLBC - 03”

वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक ऋण योजना के निर्धारित लक्ष्य **₹ 18468.80 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2017 तक **₹ 12219.41 करोड़** की उपलब्धि विभिन्न सेक्टरों में निम्नवत दर्ज की गयी है, जो कि तृतीय त्रैमास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 65% के सापेक्ष 66% है।

(₹ करोड़ों में)

गतिविधि	**दिसम्बर, 2016 त्रैमास**			**दिसम्बर, 2017 त्रैमास**		
	वार्षिक लक्ष्य	**उपलब्धि**	**उपलब्धि प्रतिशत**	**वार्षिक लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**उपलब्धि प्रतिशत**
फसली ऋण	5752.94	2448.95	43%	6524.51	3483.61	53%
सावधि ऋण	2810.09	827.87	29%	3225.14	1659.65	51%
फार्म सेक्टर (कुल)	**8563.03**	**3276.82**	**38%**	**9749.65**	**5143.26**	**53%**
नॉन-फार्म सेक्टर	4450.80	3420.44	77%	4937.81	4325.97	88%
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	3371.04	2224.42	66%	3781.34	2750.18	73%
कुल योग	**16384.87**	**8921.68**	**54%**	**18468.80**	**12219.41**	**66%**

निम्न प्रमुख बैकों द्वारा दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष **60 प्रतिशत** से कम की प्राप्ति की गयी है।

(₹ **करोड़ों में**)

बैंक का नाम	दिसम्बर, 2016 त्रैमास			दिसम्बर, 2017 त्रैमास		
	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत प्राप्ति	वार्षिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत प्राप्ति
केनरा बैंक	656.22	378.99	58%	736.12	399.98	54%
उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	1110.25	280.09	25%	1228.71	555.57	45%
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	265.17	138.29	52%	309.43	135.67	44%
आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	120.29	98.06	82%	137.79	48.14	35%
यूको बैंक	254.30	294.48	116%	286.62	97.88	34%
इण्डियन ओवरसीज बैंक	323.46	49.73	15%	386.12	122.67	32%
कारपोरेशन बैंक	97.71	41.91	43%	109.58	34.91	32%

समस्त बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उन्हें आबंटित वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की सेक्टर-वार शत - प्रतिशत प्राप्ति मार्च, 2018 त्रैमास तक करना सुनिश्चित करें।

ख) ऋण-जमा अनुपात - बैंकवार एवं जिलावार : "SLBC – 01"

i) बैंकवार :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर राज्य का ऋण-जमा अनुपात **57%** है, जो पिछले त्रैमास की तुलना में 1% अधिक है। निम्न प्रमुख बैकों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत से कम है, जिसमें सुधार किया जाना अति आवश्यक है।**

बैंक	शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 2016	दिसम्बर, 2017
सेन्ट्रल बैंक	41	25%	30%
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	05	34%	37%

उपरोक्त बैंक नियंत्रक ऋण-जमा अनुपात को आगामी त्रैमास में बढ़ाने हेतु अपने बैंक की रणनीति से सदन को अवगत कराएं।

ii) जिलावार :

निम्न जिलों का ऋण-जमा अनुपात **40 प्रतिशत** से कम है।

जिला	बैंक शाखाओं की संख्या	दिसम्बर, 2016	दिसम्बर, 2017
देहरादून	554	30%	35%
पिथौरागढ	104	29%	32%
बागेश्वर	51	27%	29%
रुद्रप्रयाग	55	21%	26%
चमोली	93	25%	26%
टिहरी	134	19%	25%
चम्पावत	56	22%	24%
पौड़ी	195	21%	23%
अल्मोड़ा	146	20%	22%

उपरोक्त जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंकों से समन्वय स्थापित करते हुए सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं विशेष रुप से प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण करवाकर, स्वीकृत आवेदन पत्रों में **दिनांक 10 मार्च, 2018** तक ऋण वितरण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि जिले के ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि दर्ज की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 4 : <u>वित्तीय समावेशन</u>

क) <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप कनेक्टिविटी रहित **716** एस.एस.ए. में से **716 एस.एस.ए.** के लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित कर दिए गए हैं तथा **451** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष बचे **265** एस.एस.ए. में बैंकवार निम्नवत् वी.-सैट स्थापित करने का कार्य अभी लम्बित हैं ;

क्र.सं.	**बैंक का नाम**	**वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. की संख्या**	**वी.-सैट स्थापित किए जा चुके एस.एस.ए. की संख्या**	**वी.-सैट स्थापित किए जाने वाले अवशेष एस.एस.ए. की संख्या**
1.	भारतीय स्टेट बैंक	297	180	117
2.	पंजाब नेशनल बैंक	45	03	42
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	33	25	08
4.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	21	03	18
5.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	05	02	03
6.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	02	-	02
7.	बैंक ऑफ इण्डिया	09	04	05
8.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	294	224	70
9.	नैनीताल बैंक	10	10	-
कुल योग		**716**	**451**	**265**

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा वी.-सैट स्थापना के कार्य में हो रहे विलम्ब को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित बैंकों, विशेष रुप से भारतीय स्टेट बैंक (117), उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (70), पंजाब नेशनल बैंक (42) एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (18) को निर्देशित किया कि वे इस विषय को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए वी.-सैट लगाने के कार्य को यथाशीध्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिससे भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। साथ ही उप महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बैंकों, जिन्होंने वी.-सैट की स्थापना में हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड से पूर्व में सहमति प्राप्त की थी, को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रतिपूर्ति हेतु अपना दावा नाबार्ड को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

ख) <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की प्रगति निम्न प्रकार है :

		सितम्बर, 2017	दिसम्बर, 2017
क)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए खातों से आच्छादित परिवारों की संख्या	20,56,975	20,56,975
ख)	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या	22,19,970	22,78,050
ग)	पी.एम.जे.डी.वाई खातों में आधार सीडिंग की संख्या	15,56,551 **(70.11%)**	16,27,419 **(71.44%)**
घ)	बैंक के समस्त बचत खातों में आधार सीडिंग की संख्या **1. कुल बचत खातों की संख्या - 1,19,04,349** **2. उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या - 1,00,86,290** **3. आयु वर्ग 0 से 9 वर्ष की जनसंख्या - 19,83,665** **4. आधार संख्या से लिंक किए जाने योग्य जनसंख्या (2-3) - 81,02,625**	81,01,622 **(67.57%)** **(80.60%)**	88,16,008 **(74.05%)** **(87.40%)**
ङ)	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में जारी किए गए रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	18,56,564	18,27,764
च)	अवितरित (Undelivered) रु-पे डेबिट कार्ड की संख्या	77,191	68,235

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी बैंक खातों में आधार सीडिंग का कार्य दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूरा करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया कि योजनांतर्गत खोले गए सभी खातों में शत प्रतिशत रु-पे डेबिट कार्ड जारी करना सुनिश्चित करें।

ग) <u>उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा (NIC Survey)</u> :

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या **F No. 21(23)/2014-FI (Mission) (347323)** दिनांक 18 दिसम्बर, 2017 के अनुसार दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 को भारत सरकार के स्तर पर आयोजित सचिव स्तरीय बैठक में प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में राष्ट्रीय सूचना केंद्र (**NIC**), दिल्ली द्वारा प्रत्येक राज्य के संदर्भ में **Villages inadequately covered or uncovered by financial infrastructure** की सूची तैयार की गयी है, जिनके 5 किलोमीटर की परिधि में कोई बैंक शाखा / ए.टी.एम. / बी.सी. उपलब्ध नहीं है। इस क्रम में वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित सूची, जिसमें कुल 484 गांवों में बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वित्तीय सेवाओं हेतु मूलभूत ढाँचा की उपलब्धता / अनुपलब्धता का संदर्भ है, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को ई-मेल द्वारा इस आशय से प्रेषित की गयी है कि राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सदस्य बैंकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत ऐसे ग्रामों से संबंधित कार्ययोजना तैयार कर उन्हें भी अवगत कराया जाए।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त उक्त ग्रामों की सूची अग्रणी जिला प्रबंधकों को इन ग्रामों में वित्तीय सेवाओं हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) की उपलब्धता का परीक्षण करने हेतु प्रेषित की गयी थी। अग्रणी जिला

प्रबंधकों से प्राप्त सूचना के अनुरुप 484 में से 423 ग्रामों के 5 किलोमीटर की परिधि में निम्न विवरणानुसार बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस के रुप में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा उपलब्ध है।

क्र.सं.	जिला का नाम	ग्रामों की संख्या	बी.सी. से कवर्ड ग्राम	शाखा से कवर्ड ग्राम	पो. आ. से कवर्ड ग्राम	अन-कवर्ड ग्रामों की संख्या
1.	उत्तरकाशी	45	35	-	04	06
2.	टिहरी	44	41	-	-	03
3.	हरिद्वार	08	06	02	-	-
4.	पिथौरागढ	49	14	02	33	-
5.	बागेश्वर	08	04	04	0	-
6.	रुद्रप्रयाग	37	14	04	06	13
7.	पौड़ी	88	-	88	-	0
8.	चम्पावत	36	14	-	01	21
9.	उधमसिंह नगर	05	04	01	-	-
10.	अल्मोड़ा	32	02	30	-	-
11.	देहरादून	26	-	02	09	15
12.	नैनीताल	20	11	0	06	03
13.	चमोली	86	02	17	67	-
योग		**484**	**147**	**150**	**126**	**61**

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित बैंकरहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन **(Financial Inclusion)** हेतु गठित राज्य स्तरीय उप-समिति की बैठक में सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों से प्राप्त सूचना जिला प्रशासन के माध्यम से पुन: परीक्षण हेतु शासन को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध करा दी गयी है।

घ) <u>सामाजिक बीमा योजनाएं</u> :

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना के तहत अब तक बैंकों द्वारा राज्य में दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

योजना का नाम	सितम्बर, 2017	दिसम्बर, 2017
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	15,40,322	17,76,325
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	4,32,627	4,78,937
अटल पेंशन योजना	52,592	61,278

सभी बैंक नियंत्रक इन योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कर जनसाधारण को जागरुक करें एवं अधिक से अधिक संख्या में पात्र लाभार्थियों को उपरोक्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत करने हेतु विशेष प्रयास करना सुनिश्चित करें।

ङ) <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

भारत सरकार द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 (पीएमएल नियम 2005) में संशोधन कर दिनांक 01 जून, 2017 से सभी बैंक खातों के लिए आधार के साथ सत्यापित किया जाना आवश्यक कर दिया गया था, ऐसा न करने पर खाते निष्क्रिय हो जाएंगे। भारत सरकार के नवीन निर्देशों के

अनुसार बैंक खातों को आधार से सत्यापित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2018 है, अत: समस्त बैंक अपने मौजूदा सभी बैंक खातों में आधार सत्यापन के कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समस्त बैंक नियंत्रक भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए, जिसके अनुसार कुल बैंक शाखाओं के 10% शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना एवं संचालन किया जाना है, जिसके लिए विभिन्न बैंकों द्वारा उत्तराखंड राज्य में 230 बैंक शाखाओं का चयन किया गया है। बैंकों से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुरुप अभी तक 64 शाखाओं में ही ये केन्द्र सक्रिय रुप से कार्य कर रहे हैं। संबंधित बैंकों से अनुरोध है कि वे आधार पंजीकरण केंद्रों की स्थापना एवं उनके संचालन के कार्य को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अनिवार्यत: पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

च) <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों का विवरण निम्नवत् है :

	जनसाधारण हेतु कैम्प की संख्या	**एस.एच.जी. हेतु कैम्प की संख्या**	**कुल कैम्प की संख्या**
अक्टूबर-दिसम्बर, 2017	1280	969	2449
01.04.2017 से 31.12.2017 तक	3428	2644	6072

समस्त वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरुप यह सुनिश्चित करें कि उनकी नियंत्रणाधीन प्रत्येक ग्रामीण शाखा अपने कार्यक्षेत्र / सेवाक्षेत्र के ग्रामों में प्रत्येक माह कम से कम एक वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन अनिवार्यत: करें, जिसमें जनसाधारण को बैंक की योजनाओं एवं डिजीटल ट्रांजेक्शन के साथ बैंक खातों में आधार सीडिंग, रू-पे डेबिट कार्ड एक्टिवेशन की आवश्यकता, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि विषयों पर समुचित जानकारियाँ प्रदान करते हुए इनके प्रति प्रोत्साहित किया जाए।

एजेण्डा संख्या - 5 : <u>ग्राम्य विकास योजनाएं</u>

क) <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

भारत सरकार के वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कृषि विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा मुख्य रुप से 08 रणनीतियाँ तैयार की गयी हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में बैंकों के स्तर से अपेक्षा की गयी है कि वे कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी एवं भेड़ पालन, मत्स्य पालन आदि के लिए अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड द्वारा माह जनवरी, 2018 में आयोजित **State Credit Seminar** में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु उत्तराखंड राज्य के लिए प्रस्तुत **₹ 20306.67 करोड़** के **Potential Link Plan** के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों के लिए **₹ 3635.55 करोड़** के ऋण वितरण का प्रावधान किया गया है। इसी अनुक्रम में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा समस्त अग्रणी जिला प्रबंधकों को वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु तैयार किए जाने वाले जिला वार्षिक ऋण योजना में कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों हेतु लक्ष्य निर्धारित करते समय नाबार्ड द्वारा संबंधित जिले हेतु प्रस्तावित **Potential Link Plan** को आधार बनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ख) <u>फसल बीमा योजना</u> :

दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थाई समिति की बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 तथा रिस्ट्रक्चर मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2017 के अंतर्गत क्रमश: 62,150 और 12,126 कृषकों का आच्छादन किया गया है तथा इनमें से लगभग 50,126 बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर **upload** कर दी गयी है। वर्तमान में यह पोर्टल भारत सरकार द्वारा बंद किया गया है, अत: समस्त बैंकों को निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल खुलते ही शेष बचे बीमित कृषकों की सूचना भी अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे बीमा क्लेम की स्थिति में किसी प्रकार की समस्या न आए।

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया द्वारा सदन को यह भी अवगत कराया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 तथा रिस्ट्रक्चर मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2017 के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा उत्तराखंड में लगभग 1,40,000 कृषकों का आच्छादन किया गया था, जिनमें से लगभग 15,000 कृषकों की सूचना ही भारत सरकार के फार्मर पोर्टल पर अपलोड की गयी थी। संबंधित मौसम में लगभग 74,000 बीमित कृषक सहकारी बैंक के थे। वर्तमान में यह पोर्टल बंद होने के कारण महाप्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक द्वारा तकनीकी दिक्कतों का उल्लेख करते हुए शासन से अनुरोध किया गया कि खरीफ 2017 सीजन हेतु फार्मर पोर्टल पर अपलोडिंग में रियायत प्रदान कर दिया जाए। इस पर अध्यक्ष महोदय अपर सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन द्वारा महाप्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक को निर्देशित किया गया कि वे इस विषय को सचिव (सहकारिता), उत्तराखंड शासन के संज्ञान में लाएं तथा उत्तराखंड राज्य हेतु खरीफ 2017 मौसम के लिए भारत सरकार के फार्मर पोर्टल पर अपलोडिंग में छूट प्रदान करने संबंधित अनुरोध पत्र उत्तराखंड शासन की तरफ से भारत सरकार को प्रेषित करवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि आच्छादित कृषक योजना के लाभ से वंचित न हो पाएं।

ग) <u>राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)</u> : “ SLBC - 18 ”

वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर **“राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन”** योजनांतर्गत बैंकों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुरुप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	बैंक ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
3168	1692	843	623	338.91	96	753

दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर योजनांतर्गत बैंक शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की संख्या **753** है, जो कि चिंता का विषय है। दिनांक 08 फरवरी, 2018 को आयोजित ग्राम्य विकास बैंकर्स स्थायी समिति की बैठक में लम्बित आवेदन पत्रों पर बैंकवार विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित बैंक नियंत्रकों को इनका त्वरित निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

घ) <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> : “ SLBC – 46 ”

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी है :

(₹ लाखों में)

बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / लम्बित आवेदन पत्र
1835	1823	1762	2452.73	12

जिला सहकारी बैंक, उत्तरकाशी एवं नैनीताल द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को अवगत कराया गया है कि योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वितरित क्रमश: 76 एवं 157 ऋण खातों में नाबार्ड द्वारा देय अनुदान राशि का भुगतान किया जाना अभी लम्बित है। नाबार्ड से अनुरोध है कि इस विषय में समुचित कार्यवाही करें।

एजेण्डा संख्या - 6 : शहरी विकास योजनाएं

क) राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) : "SLBC - 16 एवं 17"

एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत वित्तीय वर्ष **2017-18 के तृतीय त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
2218	**1904**	**759**	**745**	**821.00**	**322**	**823**

ख) प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme) :

सब को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **"प्रधानमंत्री आवास योजना घटक ऋण आधारित अनुदान योजना"** लागू की गयी है, जिसके क्रियान्वयन हेतु नेशनल हाऊसिंग बैंक तथा हुडको नोडल एजेन्सी हैं। योजना के प्रारुप के अनुसार ₹ 6,00,001/- से ₹ 18,00,000/- तक की वार्षिक आय वाले परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी मकान नहीं है, वे ऋण की पात्रता रखते हैं तथा सामान्य प्रक्रिया के तहत बैंकों में ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। बैंकों द्वारा लाभार्थियों को देय ब्याज सब्सिडी का भुगतान हुडको या नेशनल हाउसिंग बैंक के माध्यम से किया जाना है। तृतीय त्रैमास की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष 2017-18 में निम्नानुसार प्रगति दर्ज की गयी है।

(₹ लाखों में)

नोडल एजेन्सी	स्वीकृत ऋण आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	वितरित अनुदान राशि
एन.एच.बी.	570	4637.80	1093.60
हुडको	66	472.58	68.35
योग	**636**	**5110.38**	**1161.95**

अक्टूबर - दिसम्बर, 2017 में योजनांतर्गत 337 आवेदकों को ₹ 3307 लाख का ऋण वितरण किया गया है।

एजेण्डा संख्या - 7 : समाज कल्याण योजनाएं

क) स्पेशल कम्पोनेंट प्लान : "SLBC – 15"

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के विभिन्न घटकों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

i) अनुसूचित जाति :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	बैंक ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
1459	**1238**	**902**	**859**	**351.22**	**61**	**275**

ii) **अनुसूचित जनजाति :**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	आवेदन स्वीकृत	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
100	121	70	69	21.90	02	49

iii) **अल्पसंख्यक समुदाय :**

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या
225	205	67	51	65.66	03	135

एजेण्डा संख्या - 8 : अवस्थापना विकास योजनाएं :

क) एम.एस.एम.ई. ऋण : " SLBC – 27 "

31 दिसम्बर, 2017 को समाप्त त्रैमास तक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अन्तर्गत निम्नवत् ऋण वितरित किये गये हैं :

(Outstanding ₹ करोड़ में)

सूक्ष्म इकाई		लघु इकाई		मध्यम इकाई		कुल ऋण राशि		कुल योग
विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	विनिर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	एम.एस.एम.ई.
1646	3014	2471	4521	2278	1616	6395	9151	15546

दिसम्बर, त्रैमास की समाप्ति तक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अन्तर्गत **2,93,528 इकाईयों** के सापेक्ष **₹ 15,546 करोड़** के ऋण वितरित किये गये हैं तथा सितम्बर, 2017 त्रैमास के सापेक्ष इसमें **₹ 37 करोड़** की वृद्धि दर्ज की गयी है। एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत ऋण प्रवाह को गति प्रदान करने एवं रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से उद्योग निदेशालय, उत्तराखंड के तत्वाधान में बैंकों के सहयोग से दिनांक **16 जनवरी, 2018 से 30 जनवरी, 2018 तक एम.एस.एम.ई. पखवाड़ा मनाया गया**, जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा **2,587 इकाइयों को ₹ 134.75 करोड़** के ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं।
समस्त बैंक नियंत्रक एम.एस.एम.ई. सेक्टर के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करना सुनिश्चित करें।

ख) प्रधानमंत्री मुद्रा (MUDRA) योजना : " SLBC – 28 "

वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैकों द्वारा **"प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"** के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

योजना	ऋण राशि सीमा	निर्धारित लक्ष्य राशि	वितरित ऋणों की संख्या	वितरित ऋण राशि
शिशु	₹ 50000 तक के ऋण (ओवरड्राफ्ट राशि सम्मिलित)	192.93	23137	68.58
किशोर	₹ 50,001 से ₹ 5 लाख	848.64	23968	524.41
तरूण	₹ 5 लाख से ₹ 10 लाख	854.65	4981	375.49
कुल संख्या एवं ऋण राशि		**1896.22**	**52086**	**968.48**

अक्टूबर से दिसम्बर, 2017 त्रैमास में **21,394** नई इकाइयों को **₹ 332.28 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 की समान अवधि में योजनांतर्गत **48125** इकाइयों को वितरित **₹ 526.28 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में **52086** इकाइयों को **₹ 968.48 करोड़** के ऋण वितरित किए गए हैं, जो कि क्रमश: **3961** एवं **₹ 442.20** करोड़ से अधिक है। समस्त बैंक नियंत्रक योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें, जिससे कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके।

ग) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP) : “ SLBC – 7 ”

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के दिसम्बर त्रैमास की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
DIC – 975	2865	942	394	**1838.58**	985	938
KVIC – 730	718	261	121	**966.41**	262	195
KVIB – 733	1226	541	261	**1395.85**	346	339
योग - 2438	**4809**	**1744**	**776**	**4200.84**	**1593**	**1472**

उपरोक्त लम्बित **1472** आवेदन पत्रों के संदर्भ में अवगत कराना है कि इनमें से लगभग 650 ऋण आवेदन पत्र 15 दिसम्बर, 2017 के बाद बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं, जिनकी प्रगति मार्च, 2018 त्रैमास की समाप्ति पर परिलक्षित होगी।

अद्यतन स्थिति : 20 फरवरी, 2018 तक बैंकों द्वारा कुल प्राप्त **5813** ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष **2243** ऋण आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **1224** आवेदन पत्रों में ऋण वितरित किए गए हैं। यह भी अवगत कराना है कि 20 फरवरी, 2018 तक योजनांतर्गत मार्जिन मनी वितरण के वार्षिक लक्ष्य **₹ 48.35 करोड़** के सापेक्ष बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों में **₹ 41.39 करोड़** की मार्जिन मनी सम्मिलित है, जिसमें से **₹ 23.02 करोड़** के मार्जिन मनी दावा बैंकों द्वारा दाखिल कर दिए गए हैं।

घ) वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना : “ SLBC – 9 ”

उपरोक्त योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 की तृतीय तिमाही की समाप्ति तक निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा दर्ज की गयी प्रगति निम्नवत् है।

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	बैंकों को प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत आवेदन पत्र	वितरित आवेदन पत्र	वितरित ऋण राशि	निरस्त/ वापिस आवेदन पत्र	लम्बित आवेदन पत्र
वाहन - 200	153	94	83	789.38	19	40
गैर-वाहन - 200	144	42	30	511.12	16	86
कुल योग - 400	**297**	**136**	**113**	**1300.5**	**35**	**126**

सितम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित ऋण आवेदन पत्रों में से 126 ऋण आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित है। संबंधित बैंक नियंत्रक लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का त्वरित निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

ङ) <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> : "SLBC -14"

वित्तीय वर्ष 2017-18 के तृतीय त्रैमास की समाप्ति पर बैकों द्वारा योजनांतर्गत निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों के सापेक्ष निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ लाखों में)

भौतिक वार्षिक लक्ष्य	प्रेषित / प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	वितरित आवेदन	वितरित ऋण राशि	निरस्त / वापिस आवेदन पत्रों की संख्या	लम्बित आवेदन पत्र
1750	75	73	71	165.96	-	02

इस योजना में लक्ष्य के सापेक्ष में बहुत कम संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किए गए हैं। अत: संबंधित विभाग से अनुरोध है कि योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष पर्याप्त संख्या में ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित करें।

च) <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> : "SLBC - 44"

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा **(जिला सहकारी बैंक के अतिरिक्त)** को कम से कम एक महिला एवं एक अनुसूचित जाति अथवा एक जनजाति वर्ग के व्यक्ति को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु **न्यूनतम ₹ 10 लाख से अधिकतम ₹ 100 लाख** तक के ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष **2017-18 के तृतीय त्रैमास** की समाप्ति पर बैंकों द्वारा योजनांतर्गत निम्नवत् प्रगति दर्ज की गयी हैं :

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	31 दिसम्बर, 2017 तक की प्रगति का विवरण				
		वित्तीय वर्ष 2017-18			योजना के आरम्भ (05.04.2016) से वर्तमान त्रैमास तक की प्रगति	
		आवेदन प्राप्त	आवेदन स्वीकृत	स्वीकृत राशि	कुल ऋण वितरित आवेदन	कुल वितरित ऋण राशि
1.	महिला	361	325	77.03	787	174.65
2.	अनुसूचित जाति / जनजाति	62	55	8.20	128	25.29
	योग	**423**	**380**	**85.23**	**915**	**199.94**

अवस्थापना विकास बैंकर्स स्थायी समिति की दिनांक 14.02.2017 को आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा अवगत कराया गया है कि योजना में धीमी प्रगति का मुख्य कारण पात्र महिला / अनुसूचित जाति या जनजाति के उद्यमियों, विशेष रुप से पर्वतीय जिलों में, नहीं मिल पाना है।

छ) <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

समस्त बैंक नियंत्रक सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत उनकी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 10 मार्च, 2018 तक अनिवार्यत: करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित विभागों से अनुरोध है कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की शाखावार सूची संबंधित बैंक नियंत्रकों को प्रेषित करें, जिससे कि उनके स्तर से प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।

एजेण्डा संख्या - 9 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा।

****